

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, तारीख 12, फरवरी 2025

सा.का.नि.\_\_(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 26, धारा 27 की उप-धारा (1), धारा 28, धारा 29, धारा 31 की उप-धारा (2), धारा 39 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 40 की उप-धारा (6) और धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 में, नियम 9ख के उप-नियम (2) में, पहले परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह कि उत्पादक कंपनी के अतिरिक्त कोई निजी कंपनी, जो 31 मार्च, 2023 की स्थिति को एक लघु कंपनी नहीं है, 30 जून, 2025 तक इस नियम का पालन करेगी”।

[फाइल सं. 01/21/2013-सीएल-V]

(बालामुरुगन डी.)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

**स्पष्टीकरण ज्ञापन.**— यह घोषणा की जाती है कि भूतलक्षी प्रभाव से अधिसूचना जारी किए जाने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**टिप्पण:** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 251(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सा.का.नि. 583(अ), तारीख 20 सितम्बर, 2024 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS  
NOTIFICATION

New Delhi, dated the 12<sup>th</sup> February, 2025

G.S.R..... (E).— In exercise of the powers conferred by section 26, sub-section (1) of section 27, section 28, section 29, sub-section (2) of section 31, sub-sections (3) and (4) of section 39, sub-section (6) of section 40 and section 42 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, in rule 9B, in sub-rule (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided further that a private company, other than a Producer company, which is not a small company as on 31<sup>st</sup> March, 2023, may comply with the provision of this sub-rule by 30<sup>th</sup> June, 2025.”.

[F. NO. 1/21/2013-CL-V]

(Balamurugan D.)

Joint Secretary to the Government of India

**Explanatory Memorandum.** — It is hereby declared that by issuing the notification with retrospective effect, the interest of no person shall be adversely affected.

**Note.** — The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 251(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 583(E), dated the 20<sup>th</sup> September, 2024.